

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाडा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 40/2024  
रजिस्ट्रेशन नं. :2024/52

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाडा (राज)

बनाम

1. श्री छगनलाल यादव पुत्र श्री कालूराम यादव  
निवासी छोटी सरवन, जिला बांसवाडा  
(विक्रेता/ मालिक) मैसर्स सियाराम ट्रेडर्स,  
मुलिया रोड के पास, छोटी सरवन, जिला  
बांसवाडा
2. श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा (फर्म नोमिनी) मैसर्स श्याम  
धणी इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, खसरा नंबर  
6/1067, मानपुरा रोड, नियर बाई पास, तह.  
चौमू, जिला जयपुर 303806 (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 20-05-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशिकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 05-04-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 12-07-2023 को दौराने गश्त 4.10 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स सियाराम ट्रेडर्स, मुलिया रोड के पास, छोटी सरवन, जिला बांसवाडा पर पहुंचा तो वहाँ पर श्री छगनलाल यादव पुत्र श्री कालूराम यादव मिले। विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स सियाराम ट्रेडर्स, मुलिया रोड के पास, छोटी सरवन, जिला बांसवाडा का निरीक्षण करने पर परिसर में हल्दी पाउडर (श्याम) 30 पैकेट प्रत्येक पैकेट 100 ग्राम कुल 3 किग्रा को विक्रय हेतु रखा था। जिसको एफ.एस. एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने का शक हुआ। शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए हल्दी पाउडर (श्याम) के 4 पैकेट प्रत्येक में 100 ग्राम के 20 पैकेट कुल 2 किग्रा वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 400/- रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने

हस्ताक्षर किये। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा हल्दी पाउडर (श्याम) के (20 पैकेट प्रत्येक 100 ग्राम) के 5-5 पैकेट के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1484** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/423 दिनांक 10-08-2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 846 दिनांक 25-07-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया हल्दी पाउडर (श्याम) का नमूना कोड क्रमांक **W-1484** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई। विक्रेता ने नमूने की पुनः जाँच हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। फर्म के मालिक को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (श्याम) किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रिम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा, जिस पर विक्रेता ने हल्दी पाउडर (श्याम) मैसर्स श्याम धणी इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, खसरा नंबर 6/1067, मानपुरा रोड, नियर बाई पास, तह.

नाम  
(संकेतित)  
दिनांक

चौमु, जिला जयपुर 303806 का अग्रिम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा हल्दी पाउडर (श्याम) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 09-04-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 20-04-2024 को अप्रार्थी सं 1 व 2 स्वयं ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण अपने पर लगे आरोप स्वीकार करते हैं। अभियुक्त न्यायालय के आदेश को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।

आरोपीगणों की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/423 दिनांक 10-08-2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 846 दिनांक 25-07-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया हल्दी पाउडर (श्याम) का नमूना कोड क्रमांक **W-1484** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया हल्दी पाउडर (श्याम) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री छगनलाल यादव पुत्र श्री कालूराम यादव निवासी छोटी सरवन, जिला बाँसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स सियाराम ट्रेडर्स, मुलिया रोड के पास, छोटी सरवन, जिला बाँसवाडा को रूपये 10000/- (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र), श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा (फर्म नोमिनी) मैसर्स श्याम धणी इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, खसरा नंबर 6/1067, मानपुरा रोड, नियर बाई पास, तह. चौमु, जिला जयपुर 303806 (राज.) को रूपये 50000/- (अक्षरे पचास हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित

  
रजिस्ट्रार

आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 20-05-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)  
बांसवाड़ा (राज.)